तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर ... अहलकार ... की तारीख
24/11/24	वकील प्रार्थी ... उपस्थित / हाजिर आदेश दिनांक ... की पालना में पत्रावली पेश। [illegible] दिनांक 20/1/25 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
20/1/25	पत्रावली पेश हुई। आज तक रिपोर्ट ... I.P.O. [illegible] पत्रावली दिनांक 07/3/25 को पेश हो। 7/3	
7/3/2025	वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली पर बहस सुनी गई। प्रार्थी अपने प्रार्थना-पत्र/वादपत्र को साबित करने में असफल रहा है इसलिये अतः प्रा० पत्र/वादपत्र ~~असाबित~~ साबित ना होने से वाद खारिज किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शा०मि० किया गया। पत्रावली [illegible] [illegible] से कर दी सुनाया उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज०	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारीः– श्री श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्याः– 2 / 200 / 2023 दायर दिनांकः– 31 / 07 / 2023
जीसीएमएस नं0:– 2023 / 393 निर्णय दिनांकः– 07 / 03 / 2025

बउनवान

1. नन्दकिशोर पुत्र मंगल जाति खटीक निवासी सौंखर
2. पिंकी पुत्री मंगल पत्नी दयाराम जाति खटीक निवासी सौंखर
3. खूबीराम पुत्र मंगल जाति खटीक निवासी सौंखर
4. माया पुत्री मंगल जाति खटीक निवासी सौंखर
5. पूनम पुत्री मंगल जाति खटीक निवासी सौंखर

तहसील कठूमर जिला अलवर

------ सायलान

बनाम

1. भजनलाल पुत्र मंगतूराम जाति खटीक निवासी सौंखर
2. सुरेश पुत्र मंगतूराम जाति खटीक निवासी सौंखर
3. महेश पुत्र मंगतूराम जाति खटीक निवासी सौंखर

तहसील कठूमर जिला अलवर

4. उप पंजीयक उप तहसील खेरली तहसील कठूमर
5. तहसीलदार कठूमर जिला अलवर

गैरसायलान

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थितिः–श्री देवेन्द्र कुमार नरूका –अधिवक्ता प्रार्थीगण

श्री भागचन्द जैन–अधिवक्ता अप्रार्थीगण सं0 1 ला0 3

–:निर्णयः–

सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 323 रकबा 0.12 हे0 371 / 2359 रकबा 0.23 हे0 ग्राम सौंखर तहसील कठूमर

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

में स्थित है। जो आराजी सायलान के कब्जे काश्त खातेदारी की दर्ज रिकार्ड आराजी है। जिस पर सायलान काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है व मौके पर काबिज कृषक खातेदार है। विवादित आराजी से गैरसायलान का किसी तरह का सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। विवादित आराजी सायलान के मृतक पिता मंगलराम पुत्र नत्थी की खातेदारी की आराजी है। मंगलराम के फौत हो जाने पर विवादित आराजी का तर्का सायलान ने प्राप्त किया है। विवादित आराजी गैरसायलान बिना हक व अधिकार के सायलान को बेदखल कर खुद कब्जा करना चाहते है निर्माण करना चाहते है। गैरसायलान उक्त आराजी पर जबरन निर्माण करने पर अमादा है मना करने से नहीं मान रहे है। जबकि गैरसायलान को ऐसा करने का कोई हक व अधिकार नहीं है। यदि गैरसायलान अपने नापाक ईरादों में कामयाव हो गये तो सायलान तवाह एंव बर्वाद हो जावेगे दीगर मुकदमा बाजी वढेगी जिससे सायलान को अपार हानि होगी जिसकी पूर्ति पैसों में संभव नहीं है। अतः सायलान ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को ता फैसला दावा पाबन्द कराने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलव किया गया।गैरसायलान मय अधिवक्ता हाजिर हुये। गैरसायलान को कई बार जवाब का मौका दिया गया लेकिन जवाब पेश नही किया। दिनांक 23.01.2025 को गैरसायलान का जवाव बन्द किया गया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के सर्मथन में जमाबंन्दी संबत् 2074–2077 वाके ग्राम सौंखर पेश की जो शामिल पत्रावली है।

बहस सुनी गई। पत्रावली के तथ्यों व प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया। अधिवक्ता सायलान ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी सायलान की खातेदारी की दर्ज रिकार्ड आराजी है जिस पर सायलान काबिज रहकर काश्त कर रहे है। विवादित आराजी मृतक

उपखण्ड अधिकारी (अलवर) राज०

मंगलराम की खातेदारी की आराजी थी जिनका स्वर्गवास हो गया उनके फौत होने पर उक्त आराजी सायलान को विरासत में प्राप्त हुई है। गैरसायलान जबर्दस्त व्यक्ति है जो जबरन व लटठ के बल पर उक्त आराजी पर कब्जा कर निर्माण करना चाहते है जवकि गैरसायलान को ऐसा करने का अधिकार नहीं है। अतः गैरसायलान को ता फैसला दावा स्टे आदेश से पाबन्द किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता गैरसायलान ने अपनी बहस में अधिवक्ता सायलान के तथ्यों का विरोध करते हुये कथन किया कि पहले खसरा नम्बर 371 वाके ग्राम सौंखर एक ही खसरा नम्बर था तथा दिनांक 30.03.1992 को अदालत हाजा द्वारा तकसीम के दावे में फाइनल डिक्री पारित कर दी गई जिस डिक्री अनुसार खसरा नम्बर 371 रकबा 1 वीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम सौंखर का 1/2 हिस्सा तरफ दक्षिण गैरसायलान को मिला व शेष 1/2 हिस्सा तरफ उत्तर सायलान को मिला था जिस अनुसार नक्शा ट्रेस में खसरा नम्बर 371/2359 रकबा 0.23 हे0 तरफ उत्तर सायलान के नाम व खसरा नम्बर 371 रकबा 0.23 हे0 तरफ दक्षिण गैरसायलान की खातेदारी में दर्ज कर दिया तथा सेग्रीगेशन कर तितम्बा काट दिया लेकिन ट्रेस नक्शा में बंटवारा का इन्द्राज करते समय पटवारी हल्का ने खसरा नम्बर 371 के अनुसार कब्जा वो बंटवारा नहीं किया पटवारी हलका को खसरा नम्बर 371 की पूर्वी भुजा को आधा कर नक्शा ट्रेस में बीच में लाइन खींचनी चाहिए थी मौके का तितम्बा काटना चाहिए था। पटवारी हल्का ने वक्त सेग्रीगेशन तरफ उत्तर को ज्यादा रकबा दर्शा दिया तथा तरफ दक्षिण को कम रकबा दर्शा दिया जवकि मौके पर दोनों आधे आधे हिस्से पर काविज चले आ रहे है। जिसकी दुरूस्ती बावत गैरसायलान ने न्यायालय श्रीमान में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट का पेश किया जो प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 07.02.2025 को स्वीकार कर लिया गया है। जिसमें अदालत हाजा द्वारा खसरा नम्बर 371 में वक्त

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

सेग्रीगेशन जो उत्तर दक्षिण दो भाग किये है उनको दुरूस्त किया जाकर खसरा नम्बर 371 की पूर्वी भुजा को आधा मानकर जो मुख्य सडक की ओर वाके ग्राम सौंखर तहसील कठूमर है का आधा भाग नपवाया जाकर खसरा नम्बर 371 में पुनः तरमीम किये जाने के आदेश तहसीलदार कठूमर को दिये है। जिस आदेश की सत्यप्रतिलिपी अधिवक्ता गैरसायलान ने वक्त बहस पेश की है। अधिवक्ता गैरसायलान ने सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

सायलान को प्रार्थना पत्र को अपने पक्ष में सावित करने के लिये निम्न तीन बिन्दुओं को अपने पक्ष में साबित करना है –

1. प्रथम दृष्टा केस
2. सुविधा का सन्तुलन
3. ना–पूर्ति होने वाली क्षति

प्रथम दृष्टा केसः– हाल राजस्व रिकार्ड में विवादित आराजी मंगलराम पुत्र नत्थी की खातेदारी में दर्ज है जिसमें सायलान खातेदार नहीं है जो कि गुणागण आधार पर तय होना है।सायलान विवादित आराजी के खातेदार नहीं है। गैरसायलान ने पटवारी हल्का द्वारा नक्शा ट्रेस मौके के अनुसार तैयार नहीं किया गया जो नक्शा दुरूस्ती का मोहताज है जिस वावत गैरसायलान का प्रार्थना पत्र धारा 136 एल आर एक्ट अदालत हाजा द्वारा स्वीकार कर दुरूस्ती के आदेश तहसीलदार कठूमर को दिये गये है जिन तथ्यों पर अधिवक्ता सायलान से कोई संतोष पूर्वक जवाब नहीं दिया है। सायल साबित करने में असफल रहे है।

सुविधा का सन्तुलनः–विवादित आराजी मंगलराम की खातेदारी में दर्ज है। गैरसायलान से सायलान को किसी तरह का नुकशान हो रहा है यह सायलान ने सावित नहीं किया है। अतः उपरोक्त विस्तृत विवेचन से सुविधा

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

का सन्तुलन सायलान के बजाय गैरसायलान के पक्ष मे बखुवी साबित है है।

ना पूर्ति होने वाली क्षतिः—गैरसायलान का इन्द्राज दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र धारा 136 एल आर एक्ट अदालत हाजा द्वारा स्वीकार कर लिया गया है तथा इन्द्राज दुरूस्त करने के आदेश तहसीलदार कठूमर को दिये गये है। सायलान को गैरसायलान से ना पूर्ति होने वाली क्षति किस तरह से है सायलान साबित करने में असफल रहे है। अतः ना पूर्ति होने वाली क्षति सायलान के पक्ष में सावित ना होकर गैरसायलान के पक्ष में सावित है।

—:आदेशः—

अतः पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अवलोकन व विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की बहस पर मनन करने पर प्रथम दृष्टा केस सुविधा का सन्तुलन एंव ना पूर्ति होने वाली क्षति तीनों बिन्दुओं को सायलान अपने पक्ष में सावित करने में असफल रहे है। तीनों बिन्दु सायलान के पक्ष में सावित ना होकर गैरसायलान के पक्ष में साबित हैं। अतः सायलान अपने प्रार्थना पत्र को सावित करने में असफल रहे है। अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली पर जारी स्टे आदेश दिनांक 31.07.2023 को इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो वो मूल वाद के साथ संलग्न हो।

निर्णय आज दिनांक 07.03.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया गया।

श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर, अलवर